सुनीता राठौर विरूद्ध राजेश राठौर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 203–दो/04 जिला – भिण्ड

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निग0 नायब तहसीलदार, सोईर द्वारा प्र0क0 5/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 1 –0–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा नायब तहसीलदार ने आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है। <br>2 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राहयता व बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। यह प्रकरण आवेदक की भूमि पर अनावेदक का आधिपत्य हटाने के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतरिम रूप से वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाए जाने का अनुरोध किया गया जिस पर अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क और तर्कों पर विचार करके अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि संहिता की धारा 250(3) के अनुक्रम में अनुतोष हेतु जो आवेदन पेश किया गया है उसमें 6 माह के भीतर आवेदक को हटाने का प्रमाण नहीं है इसलिए उन्होंने आवेदन निरस्त करते हुए मूल आवेदन जो कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत है साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है। प्रकरण की वैधानिक स्थिति को देखते हुए विचारण न्यायालय का आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर पुष्टि योग्य है। आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो। परिणामतः यह निगरानी अग्राहय की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों। <br><br>(एम.के. सिंह)<br>सदस्य<br>राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर | |

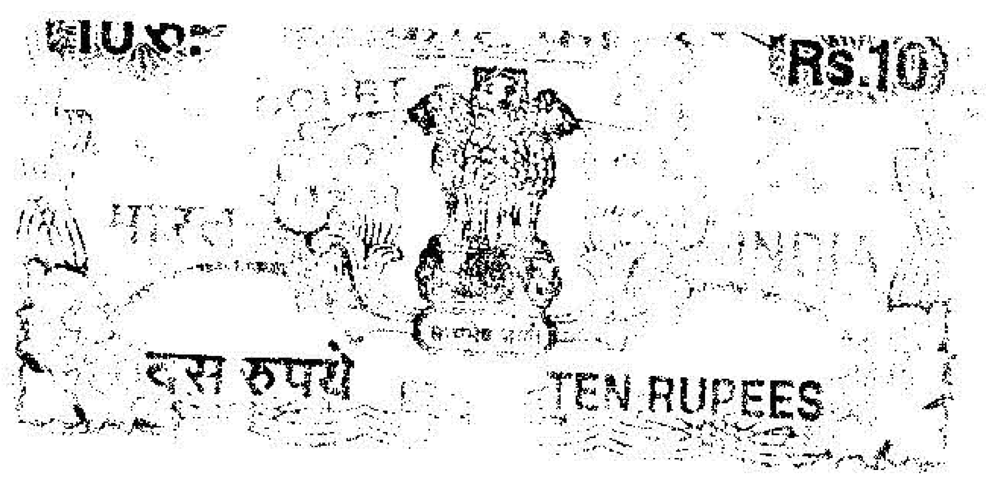


न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

प्रकरण क्र0....../

सुनीता राठौर पत्नि श्री अजय राठौर
कृषक ग्राम शेरपुर, निवासी गंज सीहोर
तह.व जिला–सीहोर.................................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

राजेश राठौर आ.स्व.श्री गौरीशंकर राठौर
निवासी–गंज सीहोर कृषक ग्राम शेरपुर,
तहसील व जिला–सीहोर ..........................प्रतिनिगरानीकर्ता